Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017........

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप–निदेशक
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप शीर्ष – 0206– राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0–40), विपत्र कोड – 40–2029001030206, इकाई कोड – 28 02, विषय शीर्ष – संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप शीर्ष – 0206– राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0–40), विपत्र कोड – 40–2029001030206, इकाई कोड – 28 02, विषय शीर्ष – संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व सर्वे मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु 65,15,508 /= (पैंसठ लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ आठ) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का राज्यादेश संख्या 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

5. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. यह आवंटन आदेश आपके पत्र संख्या 1411 दिनांक 19.12.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

निबंधित

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार पटना सिटी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017....20 आवंटन **पटना, दिनांक** 19/2/2018

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/18

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप